



निगरानी 1118-PBR-15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /2014-15 निगरानी

1. रवीन्द्र सिंह
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण प्रीतम सिंह
निवासीगण ग्राम सरनागत तहसील
डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.

- निगरानीकर्तागण
बनाम

1. सुरेश चन्द्र गौतम पुत्र श्री लक्ष्मण
प्रसाद गौतम निवासी मकान नंबर
103, चांदनी चौक पुराना गाडी
अडडा रोड डबरा तहसील डबरा
जिला ग्वालियर म.प्र.
2. कैलाशी बाई पत्नी पूरनसिंह जाट
ठाकुर निवासी ग्राम पचैरा हाल
निवास ग्राम इंदरगढ जिला दतिया
म.प्र. कृषक ग्राम सरनागत परगना
डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.
3. म.प्र. शासन - गैर निगरानीकार

दिनांक 18-5-15 को
श्री बी.एस. यादव को
द्वारा प्रस्तुत।

18-5-15
S.D

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959
विरुद्ध अधीनस्था न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी डबरा
जिला ग्वालियर म.प्र. प्रकरण क्रमांक 32/14-15 अपील
व उनमान रविन्द्र सिंह आदि बनाम सुरेश चन्द्र गौतम
आदि मे पारित आदेश दिनांक 25.4.2015


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 1118-अध्यक्ष/15

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-7-2015	<p>आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25-4-2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में नहीं होने से स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । क्योंकि इस न्यायालय में भी आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उन्हें प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल किया जा रहा है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	


(मनोज गोयल)
अध्यक्ष